न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 456/2018

वादी :- बनाम प्रतिवादी :-

1. अम्बुजा सीमेन्ट्स लि. यूनिट राबड़ियावास, तहसील-जैतारण, जिला-पाली जरिये संयुक्त अध्यक्ष पॉवर ऑफ अर्टोनी होल्डर श्री जी.वी.रामाकृष्णा पुत्र श्री जी.श्री रामामूर्ति जाति ब्राह्मण हाल निवासी अम्बुजा सीमेन्ट टाउनशीप राबडियावास तहसील-जैतारण।

1. तहसीलदार, जैतारण, जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 131 LR Act.1956

तारीख रजू:. 24/10/2018

उपस्थितः- 1. श्री करणीदान बारहठ , अधिवक्तागण, वादी।
2. तहसीलदार जैतारण

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 05/02/2019

वकील मय प्रार्थीया ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत 136 LR Act. के तहत् विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा-राबडियावास तहसील-जैतारण, जिला-पाली में स्थापित है, कार्यरत है व उत्पादनरत है। उक्त अम्बुजा सीमेन्ट्स लि. यूनिट-राबडियावास, कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में पंजीबद्ध है। इस कम्पनी के सभी प्रकार के कार्मिक, प्रशासनिक व न्यायिक कार्यो के लिए बतौर संयुक्त अध्यक्ष श्री जी.वी.रामाकृष्णा नियुक्त व कार्यरत है। कम्पनी के द्वारा उघोग प्रयोजनार्थ रेल्वे प्रोजेक्ट के लिये आबंटित की भूमि के लिए यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत है व प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए कम्पनी की जनरल पॉवर अर्टोनी प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। उघोग हेतु कच्चे माल एवं सीमेंट के परिवहन हेतु मात्र सड़क मार्ग ही उपलब्ध है जिसकी वजह से समय-समय पर परिवहन मे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी कम्पनी को रेलवे परिवहन से जोडने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजकीय भूमि ग्राम राबडियावास, रास प्रथम, केसरपुरा में कुल रकबा 58-17 बीघा जरिये आबंटन आदेश क्रमांक प.4(13) उघोग/1/2011/जयपुर, दिनांक 17/07/2014 के द्वारा आबंटित की गई है। रास-प्रथम खसरा नम्बर 280/4 रकबा 50-01 बीघा किस्म गै.मु.बाला, केसरपुरा खसरा नम्बर 2706/11 रकबा 05-11 बीघा किस्म बारानी दोयम, राबडियावास खसरा नम्बर 753/1 रकबा 01-05 बीघा किस्म गै.मु. बाला, राबडियावास खसरा नम्बर 761/1 रकबा 02-00 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल 58-17 बीघा के आबंटन आदेश की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जिसे प्रार्थना पत्र का एक अभिन्न भाग माना जावें। उक्त आबंटन आदेश के पश्चात् उक्त राजकीय भूमि जरिये रजिस्टर्ड लीज डीड दिनांक 17/12/2014 के द्वारा अंबुजा सीमेन्ट्स लिमिटेड यूनिट राबडियावास तहसील-जैतारण, जिला-पाली को 99 वर्ष के

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

लिए राज्य सरकार द्वारा लीज पर दी गई है। लीजडीड की प्रति संलग्न है। जिसे प्रार्थना पत्र का एक अभिन्न भाग माना जावें। उक्त राजकीय भूमि राजस्व रेकर्ड में मै. अम्बुजा सीमेन्ट लिमिटेड ग्राम राबडियावास (रेलवे लाईन हेतु 99 वर्षीय लीज) के नाम दर्ज हो चुकी है। जमाबंदी की प्रतियां संलग्न है। उक्त आबंटित राजकीय भूमि की राजस्व नक्शें में तरमीम अप्रार्थी द्वारा की गई। उक्त तरमीम सुदा नक्शें की प्रति संलग्न है। जिसे प्रार्थना पत्र का एक अभिन्न भाग माना जावें। उक्त रेलवे लाईन को बिछाने का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है तथा मौके पर जब उक्त खसरा नम्बर 280/4 का सीमांकन राजस्व नक्शें के अनुसार किया गया तो तरमीम में भिन्नता पाई गई। जो कि उत्तर-पश्चिम रेलवे द्वारा प्रमाणित नक्शें प्रति संलग्न है। जिसे प्रार्थना पत्र का एक अभिन्न भाग माना जावें। उक्त आबंटित राजकीय भूमि की तरमीम में त्रुटि होने की वजह से रेलवे लाईन बिछाने में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। भूमिधारक राजस्थान सरकार होने व तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार के प्रतिनिधी की हैसियत से पक्षकार बनाकर नक्शें में सही तरमीम बाबत् यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है व अप्रार्थी की तलबी हेतु तलबाना व नोटिस इस प्रार्थना पत्र की प्रति के साथ संलग्न है। उक्त आबंटित राजकीय भूमि का उत्तर-पश्चिम रेलवे विभाग द्वारा प्रमाणित नक्शा अनुसार तरमीम में शुद्धिकरण किया जाना आवश्यक है ताकि बिना किसी व्यवधान के रेलवे लाईन का कार्य उत्तर-पश्चिम रेलवे के नक्शें के माफिक पूर्ण हो सके। प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान् से निवेदन है कि पूर्व में की गई तरमीम का शुद्धिकरण कर उक्त आबंटित रकबा 58-17 बीघा राजकीय भूमि का उत्तर पश्चिम रेलवे विभाग द्वारा प्रमाणित नक्शा अनुसार राजस्व नक्शें में तरमीम करने का आदेश प्रदान करावें। इस प्रकार प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश कर माफिक प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने तथा प्रार्थी का उक्त राजस्व रेकर्ड में गलत तरमीम दर्ज को दुरूस्त दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस वास्ते जबाब प्रा. पत्र तलब किया गया। तहसीलदार जैतारण ने जवाब प्रा. पत्र पेश किया। जवाब प्रा.पत्र में जाहिर किया कि वाद में वर्णित आराजी राज्य सरकार द्वारा प्रार्थी को आवंटित हो रखी हैं। राजस्व रेकर्ड में दर्ज इन्द्राज अनुसार तथ्य स्वीकार हैं। रजिस्टर्ड लीज डीड 99 वर्ष की दिनांक 17.12.2014 के अनुसार सही हैं। पद सं. 05 में वर्णित तथ्य पटवारी रिपोर्ट एवं राजस्व रेकर्ड अनुसार सही हैं। पटवारी राबड़ियावास द्वारा की गई तरमीम नक्शा की प्रति संलग्न हैं। पटवारी रास I ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौके पर प्रस्तावित रेल्वे लाईन के पीलर नही होने से राजस्व नक्शा लठ्ठा में ग्राम रास I के ख.नं. 280/4 रकबा 50-01 बीघा की जो तरमीम की गई हैं जो उतर पश्चिमी रेल्वे के वर्तमान प्रमाणित नक्शे से मेल नही खा रही हैं। जिसकी दुरूस्ती किया जाना उचित हैं। तरमीम में त्रुटि होने की वजह से रेल्वे कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो सकता हैं। उत्तर पश्चिमी रेल्वे विभाग द्वारा प्रमाणित नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किया जाना उचित हैं। बहस वकील प्रार्थी एवं तहसीलदार जैतारण की सुनी गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात यथा आवंटन आदेश, उत्तर पश्चिमी रेल्वे विभाग द्वारा प्रमाणित नक्शा, जमाबन्दी आदि का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस पर गौर किया गया। वस्तुतः ग्राम रास I के ख.नं. 280/4 रकबा 50-01 बीघा आराजी रेल्वे लाईन हेतु दर्ज हो चुकी हैं परन्तु राजस्व नक्शा लठ्ठा में जो तरमीम की गई हैं जो उतर पश्चिमी रेल्वे के वर्तमान प्रमाणित नक्शे से मेल नही खाने से तहसीलदार जैतारण को उक्त आराजी की तरमीम उतर पश्चिमी रेल्वे के वर्तमान प्रमाणित नक्शे अनुसार दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाना उचित समझते हैं।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्व मौजा–रास I, पटवार हल्का–रास I तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राज.) मे स्थित उत्तर पश्चिमी रेल्वे लाईल बिछाने हेतु आवंटित खसरा नम्बर 280/4 रकबा 50–01 बीघा भूमि के राजस्व लठ्ठा नक्शा में की गई गलत तरमीम को उतर पश्चिमी रेल्वे के वर्तमान प्रमाणित नक्शे अनुसार दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला पाली (राज0)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक **05/02/2019** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला पाली (राज0)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)